

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 153]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 जून 2024-ज्येष्ठ 30, शक 1946

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जून 2024

संशोधित अधिसूचना

क्र.AGR-13-1-0003-2024-Sec-2-चौदह(308941).- भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015-02-2015-क्रेडिट-II, दिनांक 26 अप्रैल 2021 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2024 एवं रबी 2024-25 के लिए प्रदेश के जिलों के लिए विभिन्न फसलों के लिये प्रति हेक्टेयर बीमित राशि की अधिसूचना दिनांक 30 अप्रैल 2024 को प्रकाशित की गई थी. उक्त अधिसूचना में संलग्न सूची अनुसार खरीफ 2024 अंतर्गत जिला मैहर में फसलों के समक्ष दर्शित राशि को प्रति हेक्टेयर बीमित राशि घोषित किये जाने हेतु संशोधन जारी किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भास्कर लाक्षाकार, अपर सचिव.

खरीफ 2024 बीमित राशि प्रति हेक्टेयर (रुपये में)

क्र.	जिला	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	मक्का	बाजरा	अरहर तुआर	ज्वार	कोदो-कुटकी	मूंगफली	तिल	कपास	मूंग	संशोधित ऋणमान
														उड़द
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	मैहर	43708	30565	32200	23000	11110	30691	23000	9600	41868	24530	25507	25292	